

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, खारा महेचान


प्रकरण सं:- 100/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1482

दिनांक:- 12-6-18


आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी जूना मीठा खेड़ा व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम भाव गिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 31 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबन्दी) में अंकित प्रविष्टि मोरो बेवा टीकमा के स्थान पर मोरो कवर पत्नि टीकमसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1483-1485  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीमति मोरो कवर पत्नि टीकमसिंह निवासी भाव गिरीजी का मीठा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी